टिप्पणी

23

न्यायपालिका

जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यह एक संघात्मक संविधान है। संघात्मक संविधान से हमारा अभिप्राय एक लिखित संविधान से है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। यह देश का सर्वोच्च कानून है, लेकिन संविधान की भाषा इतनी जटिल है कि इसकी अलग-अलग ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए केंद्र और इसके अंगों (राज्यों) के बीच उनकी शक्तियों के विषय में विवाद उठना स्वाभाविक है।

अत: संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष शक्ति का होना अनिवार्य है, जो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर कोई निर्णय ले सके। यह कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है।

भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकल, एकीकृत और संगठित न्याय व्यवस्था प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि पूरे देश के लिए एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके अंतर्गत न्यायालयों का एक निश्चित पदसोपान है। यह देश के संविधान तथा कानून की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च एवं अंतिम संस्था है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रणाली जान पाएंगे;
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की व्याख्या कर पाएंगे;
- 'न्यायिक सक्रियता' के महत्व को जान सकेंगें;
- कमजोर एवं दलित वर्ग को न्याय दिलवाने में जनहित याचिका की भूमिका का महत्व समझ सकेंगे;

- देश के राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों की न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने में भूमिका को समझ सकेंगे; तथा
- देश के मौलिक कानून के रूप में संविधान के महत्व समझ सकेंगे।

23.1 सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं रचना

सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश हैं। संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। मूल रूप से न्यायाधीशों की कुल संख्या 7 थी, लेकिन 1977 में इसे बढ़ाकर 17 कर दिया गया और फिर 1986 में 25 किया गया। बाद में, 2009 में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर यह संख्या 31 निश्चित की गई।

अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह (परामर्श) के बाद की जाती है, जिनसे परामर्श करना वह अनिवार्य समझता हो। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि नियुक्ति सलाह से नहीं, अपितु केवल सलाह के बाद की जाती है। यह परामर्श (विचार) लिखित होना चाहिए। वास्तव में मुख्य न्यायाधीश से राय लेने के बाद केबिनेट इस विषय पर विचार-विमर्श करती है और राष्ट्रपति को नियुक्ति हेतु अपनी राय देती है। राष्ट्रपति केबिनेट के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह-मशविरा करना होता है और यदि चार में से दो न्यायाधीश किसी नाम पर असहमत हों तो उस नाम की सिफारिश नहीं की जा सकती। वस्तुतः निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा चार में से कम-से-कम तीन न्यायाधीशों को एकमत होना पड़ता है।

चित्र 23.1: सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली

टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश के मामले में प्राय: सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्यन्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस व्यवहार को अब एक परंपरा के रूप में बदल दिया गया है और कार्यपालिका बिना किसी अपवाद के इसका पालन करती है, लेकिन 25 अप्रैल, 1973 को इस परंपरा को तोड़ा गया और सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरीयता का अतिक्रमण कर न्यायाधीश ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। सरकार के इस कदम की आलोचना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कम करने के प्रयास के रूप में की गई। इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए नेशनल फ्रंट की सरकार द्वारा 1990 में तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी ने लोकसभा में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने तथा एक राज्य से दूसरे राज्यों में उनके स्थानांतरण हेतु सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन यह संविधान संशोधन बिल लोकसभा भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं-

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- कम-से-कम पांच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो,
- किसी उच्च न्यायालय का कम-से-कम दस वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो,
- राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रख्यात न्यायविद् हो।

रोचक तथ्य यह है कि प्रैक्टिस न करने वाले अथवा किसी शैक्षणिक विधिवेता को भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, यदि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रख्यात न्यायविद् हो। लेकिन भारत में आज तक प्रैक्टिस न करने वाले किसी वकील को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में निश्चित किए गए प्रारूप में एक शपथ लेनी होती है।

सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। किसी भी न्यायाधीश को दुराचार अथवा अक्षमता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत से पारित प्रस्ताव, जो कि उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं होना चाहिए, द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। किसी न्यायाधीश के दुराचार अथवा अक्षमता के आरोप को सिद्ध करने के लिए संसद अनुच्छेद 124(5) के अंतर्गत प्रस्ताव लाने की विधि निश्चित करेगी। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को आपराधिक दुराचार के लिए आरोपित एवं दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 124(5) के अंतर्गत दुराचार शब्द में भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम में परिभाषित आपराधिक दुराचार शामिल है।

भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति पर अनुच्छेद 124(6) और (7) के अंतर्गत भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन अनुच्छेद 128 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्ध न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकता है।

यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा जब अनुपस्थिति के कारण मुख्य न्यायाधीश अथवा कार्य करने में असमर्थ हो, तब अनुच्छेद 126 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक को कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय में किसी सत्र को चलाने के लिए न्यायाधीशों का कोरम न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्राप्त है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश उतने समय के लिए नियुक्त कर सकता है, जितना समय वह जरूरी समझता है। वह राष्ट्रपति एवं नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति से ही ऐसा कर सकता है। इस प्रकार से नियुक्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य होता है।

भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी सेवा निवृत न्यायाधीश को भी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो, उतने समय के लिए कार्यवाह न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ऐसा करने से पूर्व उसको राष्ट्रपति तथा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति चाहिए होती है (अनुच्छेद 127 और 128)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के कानून द्वारा निर्धारित तथा अनुच्छेद 125 के अंतर्गत संविधान की दूसरी सूची में दर्ज वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें सम्चुअरी भत्ते, बिना किराए का सुसज्जित आवास, टेलीफोन, पानी, बिजली, चिकित्सा तथा अन्य कई सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है।

संविधान में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होगा। हालांकि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अन्य किसी भी ऐसे स्थान पर बैठकर कार्य कर सकता है, जहां से वह कार्य करने का फैसला कर ले। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से कार्य कर रहा है।

पाठगत प्रश्न 23.1

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं?
2. भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कैसे नियुक्त करता है?

3. भारत का मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त किया जाता है? किसी एक मामले का उल्लेख कीजिए, जो परंपरा का अपवाद रहा हो।
4. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को गठित करने का विधेयक कब और क्यों प्रस्तावित किया गया?
5. सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किन आधारों पर अपदस्थ किया जा सकता है?

23.2 सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार

अनुच्छेद 129 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और इसके पास इस प्रकार के न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। देश का उच्चतम न्यायालय होने के नाते इसकी कार्यवाइयां, अधिनियम और निर्णयों को सतत याद रखने के लिए और कानून के पक्ष में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। अभिलेख न्यायालय होने का अभिप्राय है कि इसके रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और किसी अदालत में इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अभिलेख न्यायालय का यह भी अर्थ है कि यह अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है, लेकिन यह ऐसी शक्ति है, जिसका बहुत ही दबावपूर्ण स्थिति में यदा कदा प्रयोग किया जाता है। यह न्यायालय और इसकी कार्यप्रणाली की सच्ची तथा सुविचारित आलोचना करने पर पाबंदी नहीं लगाता। जनहित में न्यायिक कार्यों की निष्पक्ष और तर्क युक्त आलोचना को न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाता। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक, अपीलीय और परामर्शक क्षेत्राधिकार है।

23.2.1 क्षेत्राधिकार

A. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि किसी विवाद पर सबसे पहले सुनवाई और निर्धारण करने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित मामलों में अनन्य प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है, जो निम्नलिखित विवादों पर लागू होता है–

- भारत सरकार बनाम एक अथवा अधिक राज्य,
- भारत सरकार और एक या अधिक राज्य एक तरफ तथा एक या अधिक राज्य दूसरी ओर,
- दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मुकदमे नहीं ले सकता, जिसमें कोई एक व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमा करता है। न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित विवाद में किसी कानून अथवा तथ्य से संबंधित कोई प्रश्न शामिल होना चाहिए, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि न्यायालय को राजनीतिक मामलों में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

हालांकि इस क्षेत्राधिकार में किसी संधि अथवा समझौते से उत्पन्न विवाद शामिल नहीं होगा, जो वर्तमान में लागू है तथा इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है (अनुच्छेद 131)

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंतर्राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262); वित्त आयोग को भेजे गए मामले (अनुच्छेद 280) तथा संघ और राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन का समायोजन (अनुच्छेद 290) के मामले शामिल होते हैं।

यदि किसी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाना है तो इसमें कानून का कोई प्रश्न अवश्य शामिल होना चाहिए, जिस पर कानूनी अधिकार निर्भर करता हो। अनुच्छेद 139A के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने पास किसी एक उच्च न्यायालय अथवा कई उच्च न्यायालयों से मुकदमे मंगवा सकता है, जिनमें कानून का अति महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हों। न्याय के हित में सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से मुकदमों को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तक फैला हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए अनेक लेख (रिट्स) जारी कर सकता है। यह हमारे संविधान की अद्वितीय विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सिद्धांत रूप से सीधे सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकता है।

B. अपीलीय क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार दीवानी, आपराधिक और सांविधानिक मामलों तक फैला हुआ है। किसी दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री अथवा अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के अंतर्गत यह प्रमाणित कर दे कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आवश्यक है। उच्च न्यायालय केवल तभी प्रमाण- पत्र जारी करता है, जब स्थिति असाधारण रही हों तथा गंभीर अन्याय किया गया हो। अत: उच्च न्यायालय द्वारा केवल तथ्यों के प्रश्न पर प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता, जब तक कि कानून से संबंधित कोई गंभीर प्रश्न निहित न हो।

आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय ने-

- किसी व्यक्ति की दोष मुक्ति को पलटकर उसको मृत्यु दंड दे दिया हो।
- किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने यहां स्थानांतरित करवा के मुकदमे में दोषी व्यक्ति को अपराधी घोषित करके उसे मृत्युदंड दे दिया हो (अनुच्छेद 134)

यह नोट किया जाना चाहिए कि संविधान लागू होने से पहले भारत में एक संघात्मक न्यायालय था। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था और स्वतंत्र भारत के संविधान ने इसको समाप्त किया था। संविधान में अनुच्छेद 135 शामिल किया गया, ताकि सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों में क्षेत्राधिकार बनाए रख सके, जिन पर संघात्मक न्यायालय (फेडरेल कोर्ट) अपना क्षेत्राधिकार रखता था।

अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत भूक्षेत्र में किसी ट्रिब्यूनल अथवा न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा अथवा आदेश के विरुद्ध अपील करने की इजाजत दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की 'अपील करने की इजाजत' देने संबंधी शक्ति उच्च न्यायालय से काफी अधिक है।

सर्वोच्च न्यायालय सैनिक अदालतों के अतिरिक्त देश में स्थित किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल के किसी भी प्रकार के मामलों, आपराधिक अथवा राजस्व मामलों के फैसलों के विरुद्ध अपील करने की इजाजत दे सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है कि यह केवल उन मामलों में अपील करने की अनुमति देगा, जिनमें न्याय गलत ढंग से किया गया हो अथवा जहां उच्च न्यायालय या ट्रिब्यूनल कानूनी तौर पर गलती पर हों। अत: इसको आमतौर के व्यवहार के रूप में नहीं लिया जाता।

? क्या आप जानते है

ट्रिब्यूनल न्यायालय न होते हुए भी प्राधिकार का ऐसा निकाय होता है, जिसमें न्यायालय के सभी लक्षण होते हैं तथा जिसके पास कानून अथवा किसी न्यायिक मामले में नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले तथ्य के प्रश्नों पर निर्णय लेने की न्यायिक शक्तियां होती हैं।

अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों तथा आदेशों के पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम है। कुछ निर्णयों का पुनरावलोकन एक असाधारण घटना है, जिसकी अनुमति केवल ऐसे मामलों में होती है, जहां कोई बड़ी गलती हो गई हो।

C. परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार

संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति, कानून के किसी प्रश्न पर अथवा जनहित संबंधी किसी तथ्य पर यदि राय प्राप्त करना जरूरी समझे तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह (राय) मांग सकता है।

राष्ट्रपति से प्राप्त ऐसे संदर्भों पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय दे सकता है। यह राय केवल परामर्श (सलाह) के रूप में होती है, जिसको मानने अथवा न मानने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार यह सर्वोच्च न्यायालय पर भी निर्भर करता है कि वह किसी मामले के आधार पर अपनी राय दे अथवा नहीं।

अनुच्छेद 139 निर्धारित करता है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे मामलों पर दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश अथवा आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, जिन पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पहले से अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 140 के अंतर्गत संसद, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने के लिए, उसकी शक्तियों को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय भारत के सभी न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में पूरा न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री अथवा आदेश जारी कर सकता है। न्यायालय द्वारा दिए

गए आदेश अथवा डिक्री संसद द्वारा निर्धारित विधि से देश के पूरे क्षेत्र में लागू रहते हैं। जब तक संसद द्वारा कोई नया प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तरीके से न्यायालय के आदेश लागू रहते हैं।

अनुच्छेद 144 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशें और निर्णयों को प्रभावकारी बनाने हेतु भारत के सभी लोक सेवकों तथा न्यायिक अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अधीन रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से न्यायालयों की कार्यवाहियों व प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिये नियम बनाता है।

पाठगत प्रश्न 23.2

1. 'कानूनी अधिकार' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. सर्वोच्च न्यायालय के पास किन स्थितियों में एक अथवा अधिक उच्च न्यायालयों से मामलों (मुकदमों) को अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति है?
3. सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेख (रिट्स) जारी करने का अधिकार है?
4. सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार किन मामलों तक फैला हुआ है?
5. 'ट्रिब्यूनल' को परिभाषित कीजिए।

23.3 न्यायपालिका : संविधन की संरक्षक और मौलिक अधिकारों की रक्षक

जब कभी आपके मस्तिष्क में 'अदालत' शब्द आता है तो आपको तुरंत किस चीज का ध्यान आता है? न्याय का ध्यान आता है। ऐसा इसलिए है कि अदालतों अथवा न्यायपालिका को प्रत्येक को तथा सब जगह न्याय प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। भारत में जब कभी किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा राज्य द्वारा संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है।

न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के अनुरूप काम करती है, जो मौलिक अधिकारों और न्याय को लागू करने के लिए कार्यविधि निर्धारित करता है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के महत्व के बारे में कहा था कि ''यदि कोई मुझसे किसी एक अनुच्छेद के बारे में पूछे कि जिसके बिना संविधान शून्य है तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त किसी अन्य का जिक्र नहीं कर सकूंगा, यह संविधान की आत्मा और हृदय है।'' अत: संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने का एक प्रभावकारी उपचार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 32(1) संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करवाने हेतु उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद

टिप्पणी

32 की खण्ड (2) सर्वोच्च न्यायालय को दिशा-निर्देश, आदेश अथवा लेख जारी करने का अधिकार देती है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसे लेख सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 32 की खण्ड (3) के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को वह सब शक्तियां प्रदान कर सकती है, जो खण्ड (2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय प्रयोग कर सकता है। खण्ड (4) कहता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार संविधान के ही किसी अन्य प्रावधान के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से स्थगित नहीं किए जा सकते। इस प्रकार यह मौलिक अधिकारों को विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। अत: यह स्पष्ट है कि जब कभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो कोई भी व्यक्ति उपयुक्त उपचार के लिए न्यायालय जा सकता है।

हमारे देश द्वारा अपनाई गई न्यायिक व्यवस्था न्यायालयों की एक श्रृंखला (पदसोपन) पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायालयों की एक श्रृंखला है, जो प्रत्येक स्तर पर न्याय देने के लिए कार्य करते हैं। इसलिए ऐसी आशा की जाती है कि साधारण व्यक्ति पहले निचली अदालतों से न्याय पाना चाहता है और यदि केस में जटिलता हो, तब लोग उच्च अदालतों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय पर बोझ को कम करने के लिए अलग-अलग स्तरों पर अदालतों की एक श्रृंखला है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लेख (रिट) जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। संसद किसी भी अन्य अदालत को सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालयों जैसे किसी भी न्यायालय को अभिलेख जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। रोचक बात यह है कि उच्च न्यायालय की लेख जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्ति से कहीं अधिक है। उच्च न्यायालयों के पास न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए लेख जारी करने का अधिकार है, अपितु मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी यह अधिकार है (अनुच्छेद 226)। संविधान में पांच लेखों (रिट) का उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में आपने मौलिक अधिकारों के अध्याय में पढ़ा होगा।

लेख के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लोगों के हित में न्याय हेतु दिशा-निर्देश और आदेश जारी कर सकते हैं। न्यायपालिका इन प्रादेशों तथा अन्य तरीकों के माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए बहुत कुछ करती है। इसलिए इसको संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है।

पाठगत प्रश्न 23.3

1. मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किस न्यायालय को लेख (रिट) जारी करने की शक्तियां हैं?
2. न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का रक्षक क्यों कहा जाता है?
3. भारत की न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार न्यायालयों के पदसोपान पर आधारित है?

23.4 जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता

जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का एक रणनीतिक हथियार है, जिसका उद्देश्य न्याय को गरीब जनता की पहुंच तक लाना है। यह ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का एक तरीका है, जो व्यक्तिगत तौर पर न्यायालयों तक पहुंच पाने की स्थिति में नहीं हैं। इसको लोगों के उस वर्ग के लाभ के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक अक्षमताओं के कारण संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से वंचित रखा गया था। जनहित याचिका का उद्देश्य इस देश के जनसाधारण की अदालतों तक पहुंच बनाना तथा उन्हें कानूनी निवारण प्राप्त करवाना है।

'लोकस स्टैंडाइ' के पारंपरिक एंग्लो सैक्सोन सिद्धांत के अनुसार केवल वही लोग न्यायिक निवारण की तलाश कर सकते थे, जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। यह सिद्धांत उस युग में विकसित हुआ, जब न्यायालयों की मुख्य चिंता लोगों के अधिकार थे। इसलिए यह अनुभव किया गया कि 'लोकस स्टैंडाइ' सिद्धांत की पारंपरिक व्याख्या को बदला जाए, ताकि न्याय गरीब लोगों की पहुंच तक आ सके। इस सिद्धांत की नई व्याख्या के अनुसार जब किसी व्यक्ति अथवा लोगों के किसी वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन होता है और वे अपनी गरीबी अथवा अक्षमता के कारण न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते तो कोई अच्छी नीयत से काम कर रही जन भावना से प्रेरित व्यक्ति अथवा संस्था न्यायिक निवारण हेतु अदालत (न्यायालय) तक जा सकता है।

'एस.पी. गुप्ता बनाम भारतीय संघ' के ऐतिहासिक केस जिसे प्राय: न्यायाधीशो का वाद केस कहा जाता है, में न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने कहा था कि अल्पाधिकार प्राप्त या वंचित लोगों की समस्याओं को न्यायालयों के समक्ष लाने में मुख्य बाधा 'लोकस स्टैंडाइ' का पारंपरिक सिद्धांत है। 'लोकस स्टैंडाइ' की धारणा को अस्वीकार करते हुए उसने निर्णय किया कि कोई भी जन भावना से प्रेरित व्यक्ति अदालत में जा सकता है, बशर्ते है कि ऐसा व्यक्ति जनहित में काम कर रहा हो और न कि वे अपने व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक प्रेरणा अथवा अन्य किसी सोच से काम कर रहा हो। इस प्रकार न्यायालय ने रूढ़िवादी 'लोकस स्टैंडाइ' के सिद्धांत को परे कर दिया है और अब यह एक पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिसे न्यायालय याचिका के रूप में स्वीकार करेगा।

जनहित याचिका का पहला प्रतिवेदित केस 1979 में हुआ था, जिसने जेलों में बंद और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। 'हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य' मामले में एक एडवोकेट द्वारा विभिन्न जेलों में सड़ रहे हजारों विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर रिपोर्ट के आधार पर जनयाचिका दायर की थी। इससे कार्यवाहियों की एक श्रृंखला शुरू हुई और 40 हजार से अधिक कैदियों को रिहाई मिली। इस केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने तीव्र न्याय के अधिकार को एक मूलभूत अधिकार बताया, जो कैदियों को नहीं दिया जाता था।

लेकिन फिर भी अनेक लोग कानूनी और न्यायिक अधिकारियों की सनक का शिकार थे, जिन्होंने निर्धारित सजा से कहीं अधिक सजा पूरी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय देने वाले

टिप्पणी

अधिकारियों से पीड़ित लोगों को प्रतिपूरक न्याय प्रक्रिया द्वारा माफी देने की प्रक्रिया विकसित की। प्रतिपूरक न्याय व्यवस्था को 1993 में 'नीलाबती बनाम उड़ीसा राज्य' केस में एक जनहित याचिका के प्रत्युत्तर में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, जिसमें 22 वर्ष के एक लड़के की पुलिस हिरासत में मौत का आरोप था। न्यायालय ने अधिकारों के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को सार्वजनिक कानून सिद्धांत के रूप में विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के उल्लंघन की पूरी देनदारी राज्य की है। इस केस में लड़के की हिरासत में हुई मौत के कारण उसकी मां को क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख 50 हजार रुपये दिलवाए।

इसी प्रकार बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारतीय संघ केस में बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए समर्पित एक संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा राज्य में स्थित फरीदाबाद जिले में पत्थर की खानों में काम करने वाले खदान मजदूरों पर एक सर्वे कराया और पाया कि पत्थर की इन खदानों में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर अमानवीय और असहनीय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश बंधुआ मजदूर हैं। इस याचिका ने न्यायपालिका से इन मजदूरों की तकलीफों, कष्टों और असहाय स्थिति को समाप्त करने के लिए लेख (रिट) जारी करने का निवेदन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उस पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार किया और एक जांच आयोग का गठन किया और सभी बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने तथा पुनर्वासित करने का आदेश दिया। जनहित याचिका सामाजिक क्रांति का एकमात्र हथियार बन चुकी है।

न्यायिक सक्रियता

सर्वोच्च न्यायालय ने अब एक कल्याणकारी राज्य में अपनी सही भूमिका को महसूस किया है और इस रणनीति का प्रयोग वह न केवल गरीबों को अपने अधिकार दिलाने में सहायता करने के लिए कर रहा है, अपितु पूरे समाज को अपराधमुक्त व व्यवस्थित कर रहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की विधायिका और कार्यपालिका की कमियों को पूरा करने की भूमिका सराहनीय है। इससे उच्चतर न्यायालयों में न्यायिक सक्रियता विकसित हो रही है।

'न्यायिक सक्रियता' न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका द्वारा नीतियां शुरू करने की भूमिका को एक साधारण व्यक्ति द्वारा दिया गया नाम है। यह प्राय: जनहित याचिका के माध्यम से होता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर था तो निवेदन पर या स्वयं अपने आप अन्याय के निवारण हेतु दिशा- निर्देश, लेख अथवा आदेश दिए हैं।

'न्यायिक सक्रियता' सरकार के अन्य दो अंगों अर्थात् विधायिका और कार्यपालिका की आलोचना की निरंतर शिकार रही है। यद्यपि यह सक्रियता उनके द्वारा न्याय प्रदान करने में असफलता अथवा कमजोर प्रयासों के कारण उभरी है, परंतु इस पर भी वे न्यायपालिका की आलोचना उसके द्वारा अपना क्षेत्र बढ़ाने के कानूनी आधार पर करते हैं। इस आलोचना से परे लोग ही यह निर्णय करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। और जब न्याय प्रदान करने का प्रश्न हो तो न्याय प्रदान करने की राह में तकनीकियां बाधक नहीं होनी चाहिएं। यदि अन्य संस्थाएं अपनी भूमिका निभाने में असफल हो जाएं तो न्यायपालिका को सक्रिय होना ही पड़ता है।

पाठगत प्रश्न 23.4

1. जनहित याचिका का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
2. 'लोकस स्टैंडाइ' (Locuos Standi) के पारंपरिक एंग्लो सैक्सन सिद्धांत का क्या अर्थ है?
3. जनहित याचिका को सामाजिक क्रांति का एकमात्र हथियार क्यों कहा जाता है?
4. न्यायपालिका की कौन-सी दो त्रुटियों के कारण न्यायिक सक्रियता का उद्भव हुआ?
5. किस केस (वाद) में न्यायालय ने एक पत्र को ही याचिका के रूप में स्वीकार किया था।

23.5 उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय

भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। संसद दो या अधिक राज्यों के लिए और किसी संघीय क्षेत्र के लिए एक सांझा (संयुक्त) उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। (अनुच्छेद 214 और 231) सर्वोच्च न्यायालय की भांति प्रत्येक उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है और इसके पास पूरा प्रारम्भिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है तथा इसके पास अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है (अनुच्छेद 215)।

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए-

- भारत का नागरिक होना चाहिए,
- न्यायिक पद पर कम-से-कम दस वर्ष का सेवाकाल होना चाहिए,
- किसी उच्च न्यायालय के वकील के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

चित्र 23.2: उच्च न्यायालय (कोलकत्ता)

टिप्पणी

उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करते समय शपथ लेनी होती है। वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। उसे अपने पद से उसी विधि से अपदस्थ किया जा सकता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निश्चित है। सेवा निवृति के बाद उसे उस उच्च न्यायालय में वकालत करने की पाबंदी है, जहां से वह सेवा निवृत हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालयों में भी पाबंदी है, परंतु वह किसी अन्य उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने अथवा संविधान की दूसरी सूची में निश्चित वेतन तथा भत्ते पाने का अधिकारी है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है (अनुच्छेद 222)। यदि आवश्यकता हो तो वह उच्च न्यायालय का कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अन्य कार्यवाह न्यायाधीशों को दो वर्ष के सीमित कार्यकाल के लिए नियुक्त कर सकता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति की सहमति से किसी सेवा निवृत न्यायाधीश को एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए गए अन्य न्यायाधीश होंगे (अनुच्छेद 216)। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सैनिक ट्रिब्यूनलों के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयों तथा ट्रिब्यूनल अधीक्षण की शक्ति होती है (अनुच्छेद 227)। जब उच्च न्यायालय को ज्ञात होता है कि किसी निचली अदालत में कोई केस विचाराधीन पड़ा है, जिसमें कानून का सारभूत प्रश्न जुड़ा हुआ है, तब वह इस केस को स्वयं लेकर प्रश्न पर निर्णय लेकर केस को पुनः उसी न्यायालय में निर्धारण के लिए भेज सकती है (अनुच्छेद 228)।

अनुच्छेद 226 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा अन्य किसी उद्देश्य के लिए लेख (रिट्स) जारी करने का क्षेत्राधिकार है। 'किसी अन्य उद्देश्य' शब्द डालकर उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय किसी भी अधिकार के उल्लंघन पर लेख (रिट) जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही लेख जारी कर सकता है। परंतु यह याद रखना चाहिए कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त जारी किए लेख सामान्य लेख नहीं होते। यह एक असाधारण उपचार है, जिसकी केवल विशेष परिस्थितियों में ही अपेक्षा की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की भांति प्रत्येक न्यायालय का अपने स्टॉफ पर नियंत्रण होता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित विधि (Consolidated Fund) से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए नियमों एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति से निश्चित की जाती हैं (अनुच्छेद 229)। किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी संघीय क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है अथवा उससे बाहर किया जा सकता है।

जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, वैसे ही उच्च न्यायालय के निर्णय राज्य के भीतर और इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो परामर्श करके जिला न्यायाधीश नियुक्त करता है। 'बार' में सात वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति जिला न्यायाधीश पद के लिए योग्य होता है।

जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। (अनुच्छेद 234)

उच्च न्यायालय का जिला न्यायालयों तथा अन्य निचले न्यायालयों पर नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा अवकाश देने संबंधी पूरा प्रशासनिक नियंत्रण है तथा ऐसा ही नियंत्रण न्यायिक सेवा से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति तथा न्यायाधीश से नीचे के पद पर तैनात किसी व्यक्ति पर भी होता है। (अनुच्छेद 235)।

अनुच्छेद 236 प्रयुक्त किए गए विभिन्न पदों की व्याख्या करता है, जबकि अनुच्छेद 237 राज्यपाल को अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट के संबंध में प्रावधानों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है और मानव-जाति के लिए न्याय देने हेतु दृढ़ता से खड़ी रहेगी। न्यायपालिका को निष्पक्ष एवं जिम्मेवार रखने के लिए इसको कार्यपालका एवं विधायिका के प्रभाव से स्वतंत्र रखा गया है। न्यायिक सक्रियता के विकास एवं जनहित याचिका जैसे उपकरणों के जुड़ने से इसकी जिम्मेवारियां और बढ़ गई हैं। व्यावहारिक रूप से यदि विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी एवं सजग हो जाएं तो न्यायपालिका को अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पाठगत प्रश्न 23.5

1. भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कैसे नियुक्त करता है?
2. उच्च न्यायालय के कोई दो कार्य लिखिए।
3. न्यायपालिका को लोकतंत्र का स्तंभ क्यों कहा जाता है?

आपने क्या सीखा

हमारे देश में न्यायालयों की एक पदसोपानिक शृंखला है, जो सर्वोच्च न्यायालय से शुरू होकर उच्च न्यायालयों और निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों तक फैली हुई है। न्यायपालिका प्रत्येक प्रकार के पक्षपात एवं प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। इसलिए न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखा गया है।

न्यायपालिका को लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु लेख जारी करने का क्षेत्राधिकार दिया गया है। न्यायपालिका को विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसको संविधान का संरक्षक बनने में सहायता करती हैं।

टिप्पणी

जनहित याचिका सामाजिक क्रांति के एक उपकरण (हथियार) के रूप में उभरी है, जिसने वंचित और दलितों को न्याय प्रदान करने में सहायता की है।

विधायिका और कार्यपालिका का अपने स्तर पर असफल होने के कारण न्यायिक सक्रियता का उद्भव हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियां और न्याय क्षेत्र लगभग समरूपता हैं।

अधीनस्थ न्यायालयों तथा निम्न न्यायालयों को उच्चतर न्यायालयों के नियमों और निर्णयों का अनुसरण करना होता है, जिसमें उनकी सहायता करने वाला स्टॉफ भी शामिल होता है।

पाठांत प्रश्न

1. सर्वोच्च न्यायालय रचना की रचना का उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में वर्णन कीजिए।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के कौन-से आधार हैं? अपदस्थ करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।
3. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए।
4. न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है और यह किस प्रकार न्यायिक निवारण में सहायक है?
5. लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में जनहित याचिका की भूमिका को उदाहरण सहित लिखिए।
6. उच्च न्यायालय के कार्यों एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

23.1

1. इकतीस
2. राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है, जिनसे परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझता है। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश से परामर्श सदैव किया जाता है।
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रायः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इसमें अपवाद केवल ए.एन. रे की नियुक्ति थी, जब तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता को नजरंदाज कर उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

4. 1990 में नेशनल फ्रंट सरकार के कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने के लिए विधेयक प्रस्तावित किया था। इसका गठन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए किया जाता था।
5. दुराचार सिद्ध होने अथवा अक्षमता के आधार पर।

23.2

1. कानूनी अधिकार का अभिप्राय कानून द्वारा मान्य तथा राज्य द्वारा लागू अधिकार से है।
2. सर्वोच्च न्यायालय केवल ऐसे मामलों में अपील की स्वीकृति दे सकता है, जहां गंभीर अन्याय किया गया हो अथवा उच्च न्यायालय या ट्रिब्यूनल कानूनी तौर पर गलत है।
3. अनुच्छेद 32
4. दीवानी, फौजदारी (आपराधिक) और संवैधानिक मामले (मुकदमे)
5. ट्रिब्यूनल न्यायालय न होते हुए भी प्राधिकार का ऐसा निकाय है, जिसमें न्यायालय के सभी लक्षण होते हैं तथा जिसके पास कानून अथवा किसी न्यायिक मामले में नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले तथ्य के प्रश्नों पर निर्णय लेने की न्यायिक शक्तियां होती है।

23.3

1. उच्च न्यायालय
2. न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु लेख (रिट्स) जारी करने के अतिरिक्त दिशा-निर्देश तथा आदेश जारी कर सकती है तथा अन्य प्रकार के उपलब्ध तंत्र का प्रयोग कर सकती है।
3. हमारे यहां अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायालयों की एक पदसोपानिक श्रृंखला है। जन-साधारण सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय से न्याय पाना चाहता है। जटिलता होने पर वे उच्चतर न्यायालयों में जाने को स्वतंत्र है। इससे न्यायालयों की पदानुक्रम श्रृंखला बनती है।

23.4

1. जनहित याचिका का प्राथमिक उद्देश्य न्याय को गरीब लोगों की पहुंच में लाना तथा कानूनी राहत पाने के लिए न्यायालयों तक उनकी पहुंच बनाना है।
2. इसका अर्थ है कि केवल वही लोग न्यायिक निवारण (राहत) प्राप्त कर सकते हैं, जो पीड़ित है या जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो।

टिप्पणी

3. • यह न्याय को गरीब लोगों की पहुंच में लाती है।
   • इससे न्याय शीघ्र मिलता है।
   • इसने हजारों विचाराधीन कैदियों की स्थिति में परिवर्तन किया है।
   • कोई भी व्यक्ति निरक्षर, गरीब और दलितों की ओर से न्याय की मांग कर सकता है।
4. (i) शीघ्र न्याय प्रदान करने में विफलता और ढीला-ढाला प्रयास।
   (ii) अत्यधिक तकनीकियों के कारण न्याय में देरी होना।
5. हरियाणा में बंधुआ मजदूरों की दुर्दशा, कष्ट और असहाय होने से संबंधित बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारतीय मंच केस में इसको स्वीकार किया गया था।

23.5

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से परामर्श करने के बाद नियुक्त किया जाता है।
2. (i) उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लेख अथवा आदेश जारी करता है।
   (ii) यह अधीनस्थ न्यायालयों में हुए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है।
3. यह लोकतंत्र का स्तंभ है, क्योंकि-
   (i) यह न्याय देने में दृढ़ रहती है,
   (ii) यह संवैधानिक मामलों की सही व्याख्या करती है,
   (iii) यह जनहित को सुनिश्चित करती है और कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देती है।